कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी (म.प्र.)

// विविध–आदेश //

क्रमांकः 29 कोविड–19/दो–1–1/2020 सीधी, दिनांकः 09 अप्रैल, 2021

मध्यप्रदेश शासन, गृहविभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ–35–09/2020/दो/सी–2 दिनांक 07.04.2021 के अनुक्रम में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीधी द्वारा आदेश क्रमांक 199/आर.डी.एम./2021 दिनांक 08.04.2021 के द्वारा कोविड–19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण सीधी जिले की सीमा हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सीधी जिले के अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्य दिवस सप्ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित करते हुये, शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बन्द रहने एवं उक्त पांच दिवसों में कार्यालयीन समय सुबह 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक नियत कर शुक्रवार सायं 06:00 बजे से सोमवार प्रातः 06:00 तक सम्पूर्ण लॉकडाउन निर्धारित किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, गृहविभाग, मत्रांलय भोपाल के उपरोक्त पत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर परिपत्र (एस.ओ.पी. क्र. ए/113 दिनांक 15.01.2021) के आलोक में न्यायिक जिला स्थापना सीधी एवं बाह्य न्यायालय चुरहट/रामपुरनैकिन तथा मझौली के समस्त न्यायालयों एवं समस्त अनुभागों, कुटुम्ब न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी के लिए दिनांक 10.04.2021 (शनिवार) को अवकाश घोषित किया जाता है।

Virender Tanwar 09.04.21
(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी (म.प्र.)

पृष्ठां. क्र० कोविड–19/दो–1–1/2020 सीधी, दिनांकः 08 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपि–

1. रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीधी
3. जिला मजिस्ट्रेट, सीधी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. पुलिस अधीक्षक, सीधी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, सीधी/चुरहट/रामपुरनैकिन/मझौली की ओर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, समस्त कर्मचारियों को सूचित किया जावे।
7. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, सीधी/चुरहट/रामपुरनैकिन/मझौली
8. जेल अधीक्षक, जिला जेल, सीधी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. लोक अभियोजन कार्यालय, सीधी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, सीधी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
11. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, सीधी की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि न्यायिक अधिकारियों के ई–मेल आई.डी./व्हाट्सएप ग्रुप एवं कर्मचारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में सूचनार्थ तत्काल अपडेट करें।

Virender Tanwar 09.04.21
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी (म.प्र.)